(64)

संख्या– 214 /XXXVI(1)/2011– 7–चार/2005

प्रेषक,

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 11 नवम्बर, 2011

विषय– अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष शासन द्वारा आबद्ध किये गये शासकीय अधिवक्ताओं की फीस निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 246/XXXVI(1)/09– 7–चार/2005 दिनांक 27–08–2009 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड के जिलों में स्थित दीवानी/राजस्व/फौजदारी के न्यायालयों में शासन का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आबद्ध अधिवक्ताओं को 01.11.2011 से निम्न विवरणानुसार फीस का भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

जिला न्यायालय दीवानी/राजस्व/फौजदारी

रिटेनर फीस (जो कि पूर्व की भांति यथावत रहेगी)

(1)	जिला शासकीय अधिवक्ता	₹ 5000/– प्रतिमाह
(2)	अपर जिला शासकीय अधिवक्ता	₹ 4000/– प्रतिमाह
(3)	सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता	₹ 3500/– प्रतिमाह
(4)	उप जिला शासकीय अधिवक्ता	₹ 3000/– प्रतिमाह

ड्राफ्टिंग फीस

(1)	वाद/अपील/मेमो/प्रार्थना पत्र पुनरीक्षण, प्रार्थना पत्र (रिवीजन)	₹ 1000/– प्रतिकेस
(2)	लिखित विवरण/पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र (रिव्यू)	₹ 300/– प्रतिकेस

उपर्युक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित प्रार्थना पत्र का आशय केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश–9, नियम–13 के प्रार्थना पत्र से होगा। अन्य किसी प्रार्थना पत्र के लिए कोई फीस अनुमन्य नहीं होगी।

जिला शासकीय अधिवक्ता दीवानी, फौजदारी, राजस्व जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आशुलिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सुविधा उपलब्ध नही करायी गई है, को आशुलिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए क्रमशः ₹ 6000/– (₹ छः हजार मात्र) एवं ₹ 3000/– (₹ तीन हजार मात्र) की धनराशि अनुमन्य होगी, यह धनराशि तभी अनुमन्य होगी, जब जिला शासकीय अधिवक्ता इस आशय का प्रमाण पत्र देयक के साथ प्रतिमाह प्रस्तुत करेंगे कि अमुक व्यक्ति से उस माह में आवश्यकतानुसार उनके द्वारा आशुलेखन एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिक से सेवायें ली जा रही है, ताकि उसी व्यक्ति के नाम से सीधे चैक निर्गत किया जा सके।

बहस

(1)	जिला शासकीय अधिवक्ता को वादों तथा प्रकीर्ण वादों में बहस हेतु	₹ 1200/– प्रति कार्यदिवस
(2)	अपर/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष अधिवक्ता/एमीकसक्यूरी/नामिका वकील (दीवानी/फौजदारी/राजस्व) को वादों तथा प्रकीर्ण वादों में बहस हेतु	₹ 1100/– प्रति कार्यदिवस
(3)	उप जिला शासकीय अधिवक्ता को वादों तथा प्रकीर्ण वादों में बहस हेतु	₹ 1000/– प्रति कार्यदिवस

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय आय–व्ययक के अनुदान संख्या 04 के लेखा शीर्षक "2014–न्याय–प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–114–विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)–04–विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता–00–16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–154NP/XXVII(5)/2011–12 दिनांक 09 नवम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

संख्या–2141(1)/XXXVI(1)/2011– 7–चार/2005 तददिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
3. समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त कुॅमाऊ मण्डल/गढवाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मा0 विधि मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
9. एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव

D:\Bhagwan folder\vividh letter.doc